नंबर व ता...
जो इस...
तामील...

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति0 जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 85 / 2022

उनवान

1. मांगी देवी पत्नि सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,
2. कमला पुत्री सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,
3. धापू पुत्री सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,
4. शिवकोर पुत्री सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,
5. हंसा पुत्री सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,
6. सरोज पुत्री सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम,

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी सामोता वाली तन मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

———अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिम्भू पुत्र मूरलीधर (जिसे गलत रूप से सुण्डाराम का पुत्र होना दर्शित किया है) जाति जाट निवासी ढाणी सामोता वाली तन मउ श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना हाल SHAMBHU SAMOTA UNIT 420 ANN STMOUNT ISA QLD-4825 AUSTRALIA Mo.No. +610449670532 Mail I.D. shambhusamota@gmail.com. Whatapp No. 0061449670532, 0061741505002
2. तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
3. हल्का पटवारी पंटवार हल्का मउ तंहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

————रेस्पोडेन्ट

4. महिपाल पुत्र सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम, जाति जाट निवासी ढ़ाणी सामोता वाली तन मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना

———प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 29.11.2019 स्वीकृत दिनांक 04.02.2020 ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना जो सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम की विरासत का भरा गया।
अपील अधिनियम धारा 75 एल.आर.एक्ट.

उपस्थितः– श्री होशियार सिंह बड़सरा एडवोकेट ————अपीलान्ट
श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट ————रेस्पोडेन्ट संख्या 01
श्री मुरारीलाल यादव एडवोकेट ————प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट नं. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांकः– 01.02.2024**

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स के पति/पिता सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपीलान्ट संख्या 1 ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष कृषि भूमि खसरा नम्बर 1273, 1157, 1158, 1160, 1161, 1175, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855 वाके डेरवाली, पटवार हल्का मउ

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल नीम का थाना में सुण्डाराम उर्फ झूण्डारामक की खातेदारी के स्थान पर उनके वारिसान अपीलान्ट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए 30.05.2019 को आवेदन किया तथा वारिसान के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जिसके संबंध में हल्का पटवारी से पूछने पर नामान्तरकरण कि कार्यवाही विचाराधीन होना बताया तथा दिनांक 23.11.2020 को अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ई–मित्र पर जमाबंदी कि नकल चाही तो अपीलान्ट एवं प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के साथ रेस्पोडेन्ट सं. 01 के नाम भी इन्द्राज भूमियों के खाते में मिला तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम कि विरासत में नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 29.11.2019 स्वीकृत दिनांक 04.02.2020 ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कि गई। अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रर्थाना–पत्र 30.05.2019 मृतक के वारिसान के बाबत् प्रस्तूत शपथ पत्र के विपरित जाकर बिना कोई जाँच किये नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो निरस्त होने योग्य है। मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम कि विरासत के बाबत् अपीलान्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा जाँच करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को मतदाता पहचान–पत्र, मतदाता सूची 2004 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कि सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1992 कि अंकतालिका माईग्रेशन सर्टिफिकेट, पिछडी जाति का प्रमाण–पत्र दिनांक 02.12.2005 परिवार राशर्न कार्ड क्र.सं. 1125 प्रस्तुति करवाया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता का नाम मुरलीधर है। मूरलीधर मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम का सगा भाई था व मुरलीधर के दो पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 01 तथा विजेश एवं पत्नि तारा देवी तथा पुत्री सुनिता है उसके बावजूद भी अपीलान्ट के हक अधिकारों को डिफिट देने कि दुर्भावना से अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये मुरलीधर के पुत्र शिम्भू का मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम कि विरासत मे इन्द्राज कर कानूनी त्रृटि कि है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 509 स्वीकृत आदेश खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं हल्का पटवारी द्वारा तैयार जाँच रिपोर्ट में विन्नता होने पर अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण दर्ज कर धारा 132(2) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसार निर्णित किया जाना चाहिए था। उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत कि किसी भी मिटिंग प्रस्तुत नहीं किया गया। हल्का पटवारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अमेरिका रहना बताया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ऑस्ट्रेलिया रहता है। मृतक मूरलीधर का नामान्तरकरण तस्दीक करवाते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम छोड़ा गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि को विक्रय करने अपीलान्ट को बेदखल करने रहन रखने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दिनांक 24.11.2020 से 26.11.2020 तक अस्वस्थ होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाना प्रार्थनीय है इसमें मियाद बाबत् धारा 5 का प्रार्थना–पत्र व शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 29.11.2019 स्वीकृत दिनांक 04.02.2020 ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में क्र.सं. 8 में अंकित नाम शिम्भू पुत्र सुण्डारा को हटाया जाने व नामान्तरकरण दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील अपीलान्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर सीकर में प्रस्तुत कि गई थी जो नवसृजित जिला नीम का थाना के क्षेत्राधिकार में आने से यहाँ स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि गई एवं जरिये नोटिस पक्षकारान को सूचना दी गई। अपीलान्ट कि ओर से श्री होशियार सिंह एडवोकेट के द्वारा वकालतनामा [illegible] किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 कि ओर से श्री मुरारीलाल यादव एडवोकेट के [illegible] ज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा दिनांक 11.03.20[illegible] को उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट पेश कि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनूपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं. 1 शिम्भू सिंह कि ओर से श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब/आपति पेश कि जो शामिल पत्रावली कि गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कि ओर से प्रस्तुत जबाब पेश कर जबाब के विशेष कथन में अंकित किया कि अपील मिथ्या तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत कि गई है। जो खारिज कि जावे। नामान्तरकरण संख्या 509 डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम का स्वर्गवास होने पश्चात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

वारिसान कि जाँच मौके पर जाकर एवं गाँव के मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ कर भरा गया है। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से कि जमीन बदनियतीपूर्वक की नियत से शपथ–पत्र हल्का पटवारी के समक्ष पेश किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम कि जाईन्दा पुत्र सन्तान है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

मियाद बाबत् धारा 5 का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र भी अपील के साथ में पेश किया गया है। जिस पर पक्षकारान को सुनकर बाद बहस न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

वकुलाय उपस्थित। अपील में वकुलाय उभय पक्ष मौखिक बहस सुनी गई साथ ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित बहस भी पेश कि। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपील में अंकित भूमि खसरा नं. वाके ग्राम डेरावाली पटवार हल्का मउ तहसील श्रीमाधोपुर में सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम कि खातेदारी के स्थान पर उनके वारिसान अपीलान्ट एवं प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नाम विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए आवेदन किया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण कि कार्यवाही विचाराधीन होना बताया। उसके बाद जमाबन्दी नकल चाही जाने पर मालूम हुआ कि नामान्तरकरण संख्या 509 भरा गया जिसमें अपीलान्ट व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट 4 के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम का भी इन्द्राज कर दिया गया जो इन्द्राज गलत होने के कारण अपील प्रस्तुत कि गई है। मूरलीधर मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम का सगा भाई है। मुरलीधर के दो पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा बृजेश एवं पत्नी तारादेवी व पुत्री सुनिता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर शिम्भू पत्र सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम को हटाया जाने व नामान्तरकरण दुरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील में प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट 4 द्वारा लिखित बहस पेश कर अंकित किया कि अपील में जबाब का प्रावधान नहीं है। जबाब के साथ ना ही शपथ पत्र संलग्न है। पूर्व में भी प्रार्थी व प्रार्थी के पिता कि सम्पति व जमीन को नाजायज हडपने के लिए वसियत व कई मुकदमें आदि गठित हुये है। अतः नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 04.02.2020 ग्राम डेरावाली मउ को निरस्त फरमाया जाकर शिम्भू पुत्र मुरलीधर का नाम सुण्डाराम कि भूमि से हटाकर नामान्तरकरण मांगी के वारिसान व शपथ पत्र के अनुसार दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने लिखित व मौखिक बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा तथ्यों को छुपा कर अपील प्रस्तुत कि गई है। नामान्तरकरण संख्या 509 हल्का पटवारी द्वारा सुण्डाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 509 गाँव में मौजिज व्यक्तियों के सामने भरा गया है। जो सही रूप से भरा गया है। मुरलीधर के सन्तान नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने पास रखना शुरू कर दिया था। सभी दस्तावेजात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता नाम सुण्डाराम के स्थान पर मुरलीधर चला आ रहा है। अपीलान्ट के मन में शुरू से ही बदनीयती रही है। इस संबंध में अपीलान्ट संख्या 2 ता 5 मेरी सगी बहने है। परिवार राशन कार्ड मुरलीधर के नाम से है जिसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कि ओर से जरिये लिखित बहस पेश करते हुये अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय उभय पक्ष कि मूल अपील कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रस्तुत दस्तावेजात का घहनता से अवलोकन किया गया। मुख्य बिन्दु नामान्तरकरण संख्या 509 से संबंधित यह निकल कर आया है कि तहसीलदार हल्का नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त बहुत सारे तथ्यों कि जाँच नहीं कि गई :–

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त प्रकरण विवादित होते हुये भी राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 कि धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवाद कि सुनवाई नहीं कि।
2. नामान्तरकरण संख्या 1341 दिनांक 17.08.2006 पटवार हल्का मउ ने मुरलीधर कि मृत्यु (06/1994) होने पर पत्नी तारा देवी वारिस शपथ पत्र में स्वयं व एक पुत्र बृजेश लिख कर प्रस्तुत किया जिसकी जाँच नहीं कि गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:18 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

3. कार्यालय ग्राम पंचायत मउ से जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण कि सूचना में शिम्भू पुत्र मुरलीधर माता तारा देवी जन्म दिनांक 13.09.1977 अंकित है कि जाँच नहीं कि गई।
4. शिम्भू सामोता पुत्र मुरलीधर सामोता के कक्षा 9 व 10 वीं एस.आर. रजिस्टर की प्रति में पूर्णतयाः मुरलीधर का जाईन्दा पुत्र होना अंकित है जिसकी जाँच नहीं कि गई।
5. शम्भू पुत्र मुरलीधर कर 10 वीं उतीर्ण के बाद टी.सी. फॉर्म में मोहनलाल पटवारी रा.मा.वी. मउ में अंकित तथ्य शम्भू को मुरलीधर का पुत्र साबित करते है जिसकी जाँच नहीं कि गई।
6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के चरित्र प्रमाण–पत्र 10 वीं कि अंक तालिका वर्ष 1992 पिछड़ी जाति प्रमाण–पत्र संख्या 10719 दिनांक 08.12.2005 कार्यलय तहसीलदार श्रीमाधोपुर आदि में शम्भु पुत्र मुरलीधर अंकित है जो कानून सर्वमान्य है जिसकी जाँच नहीं कि गई।
7. भारत निर्वाचन आयोग के पहचान–पत्र आरजे/05/035/405545 में शम्भु पुत्र मुरलीधर पता 100, सामोता वाली मउ श्रीमाधोपुर अंकित है और 2023 विधानसभा चुनाव कि मतदाता सूची में 039 श्रीमाधोपुर भाग संख्या 94 डेरावाली मतदाता क्रमांक 1197 पर शम्भु पुत्र मुरलीधर का नाम अंकित है जिसकी जाँच नहीं कि गई।
8. इसी प्रकार शम्भु पुत्र मुरलीधर के पासपोर्ट, बिजा, ऑस्ट्रेलिया देश कि नागरिकता आदि सभी दस्तावेजों में शम्भू पुत्र मुरलीधर निर्वाध रूप से अंकित है जिसकी जाँच नहीं कि गई।

उपर्युक्त बिन्दुओं को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 509 तस्दीक करते वक्त प्रक्रियात्मक त्रृटि रखते हुये जल्दबाजी में फैसला किया गया है। समस्त तथ्यों को देखते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 509 तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा स्वीकृत दिनांक 04.02.2020 को अपास्त किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि प्रकरण में उपर्युक्त बिन्दुओं कि घहनता से जाँच कर मृतक सुण्डाराम उर्फ झूण्डाराम के विधिक वारिसान कि जाँच कर प्रकरण में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करतें हुये अपना निर्णय पूनः पारित करें। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय कि प्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

उक्त आदेश आज दिनांक 01.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:12:18 IST
Reason: SelfAttested